कार्यालय नगर पालिका परिषद औरैया

पत्रांक –2079 / न0पा0परि0नि0वि0 / 2017.18

दिनांक 17 जनवरी 2018

ई निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद औरैया के समस्त पंजीकृत ठेकेदारो को सूचित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सार्वजानिक शौचालय/सुलभशौचालय हेतु शासनादेश स0 पी0एम0यू0/479/427(3)2017 / दिनांक 22 दिसम्बर 2017 सें प्राप्त धनराशि सें/राज्यवित्त अयोग/पालिका निधी मद के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से निम्नलिखित निर्माण कार्य हेतु दिनांक 25.01.2018 तक ई –निविदायें आमंत्रित की जाती है निविदा प्रपत्र वेबसाईट etender.up.nic.in एव npp auraiya.in पर निर्धारित प्रपत्र मूल्य एवं धरोहर राशि नगद नगर पालिका परिषद कैश काउन्टर पर जमा कर/ RTGS/NFET के माध्यम सें नगर पालिका परिषद औरैया A/C.N0 1980300704(C.B.I.Auraiya) IFSCode: CBIN0281879 भुगतान कर निविदाओं को दिनांक 18.08.2018 को प्रातः 10 वजे सें दिनांक 25.01.2018 अपरान्ह 1.00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है प्राप्त निविदाओं कों दिनांक 25.01.2018 को 3.00 बजें सें अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद औरैया के कार्यालय में ठेकेदारों की उपस्थिति में खोली जायेगी धरोहर राशि एफ0डी0आर0 / RTGS/NFET के माध्यम सें नगर पालिका परिषद औरेया के A/C.N0 1980300704(C.B.I.Auraiya) IFSCode: CBIN0281879 में जमा आदि कराई जायेगी, एफ0डी0आर0 की मूल प्रति दिनाक 25.01.2018 को अपरान्ह 1 वजे तक निविदा बाक्स में बन्द लिफाफें में डालनी होगी किन्ही कराणवश उक्त तिथि में अवकाश होनें पर अगला कार्य दिवस माना जायेगा निविदा सम्बन्धी नियम शर्त नगर पालिका कार्यालय में कार्य दिवस में अथवा निकाय की बेवसाईट पर देखी जा सकती है। किसी निविदा कों बिना कारण बतायें स्वीकृत/अस्वीकृत करनें का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा ।

क्र0 स0	कार्य का विवरण	अनुमानित धनराशि	धरोहर धनराशि 2 प्रतिशत	निविदा प्रपत्र मूल्य (मय 18 प्रतिशत जी0एस0टी0 सहित)	कार्य पूर्ण करनें की समयाविधि
1.	स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत मु0 आर्य नगर गौरैया तालाब के पास सार्वजानिक शौचालय का निर्माण।	14,20,000.00	28,500.00	1500.00+270.00	3– माह
2.	स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय) के अन्तर्गत मु0 खिडकी सहाबराय में आलू मण्डी में सार्वजानिक शौचालय का निर्माण।	14,00,000.00	28,000.00	1400.00+252.00	3– माह

निविदा डालने हेतु शर्त निम्न प्रकार है।

1– टेन्डर सबसें कम रेट वालें टेण्डरदाता का स्वीकार किया जायेगा नगर पालिका परिषद औरैया कों यह अधिकार प्राप्त होगा कि वह किसी भी टेन्डरदाता का टेन्डर बिना कारण बातायें स्वीकार/अस्वीकार कर सकती है भले ही उसके रेट कम हों।

2– टेन्डरदाता को टेन्डर स्वीकृति की सूचना प्राप्त होनें पर तत्काल अपना एग्रीमेन्ट सरकार द्वारा निश्चित स्टाम्प पर लिखकर देना होगा और टेन्डर नोटिस में दी गई जमानत धनराशि भी इकरार नामें के साथ अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद औरैया के नाम बन्धक करायेगा।

3– ठेकेदार द्वारा स्टीमेंट के अनुसार समस्त कार्य एग्रीमेन्ट दाखिल करनें के निर्धारित समय के अन्दर समाप्त करना होंगा यदि कार्य की समाप्ति में कोई दैवीय आपत्ति होगा तों अधिशासी अधिकारी /अध्यक्ष महोदया कों अधिकार होगा कि वह कार्य की अवधि वढा सकतें है।

4– यदि टेन्डरदाता स्वीकृति की सूचना मिलनें के एक सप्ताह के अन्दर –8 प्रतिशत जमानत की धनराशि व एग्रीमेन्ट दाखिल नही करेगा तों अधिशासी अधिकारी / अध्यक्ष कों अधिकार होगा कि वह टेन्डरदाता का टेन्डर निरस्त कर सकतें है और यदि उसमें कोई आग्रिम धनराशि जमा किया हों तों वह नगर पालिका कोष में जब्त कर सकतें है नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 173–क–के अधीन वसूल किया जायेगा ।

5– यदि कार्य राजकीय अनुदान का होगा तों उसका भुगतान उन शासकीय अनुदेशों कें अधीन किया जायेंगा जिनका शासन नें उन शासकीय पत्र में अकित किया है। जिसके अनुसार अनुदान दिया गया है।

6– अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगर पालिका परिषद औरैया कों अधिकार होगा, कि कार्य असन्तोषजनक रूप सें अथवा स्टीमेट के विपरीत हो रहा हो तों वह ठेकेदार कों नोटिस देकर कार्य रूकवा सकतें है यदि ठेकेदार कार्य को बन्द न करेगा तों अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष महोदय कों अधिकार होगा कि वह ठेकेदार का ठेका निरस्त कर सकता है और उसका भुगतान शेष होगा वह निकाय कोष में जब्त कर लिया जायेगा ।

7– यदि नगर पालिका परिषद औरैया चालू कार्य में कोई अन्य कार्य बढायेगी तो उसका भुगतान यदि स्टीमेट में प्रविधान नही है तों लो0 नि0वि0 की प्रचलित दरों के अनुसार भुगतान किया जायेगा ।

8– यदि कार्य के निर्माण मे ऐसें समान की आवश्यकता पडती है जिसपर सरकार सें प्रतिबन्ध कर रखा हो उसका प्रबन्ध ठेकेदार स्वयं करेगा निकाय की कोई जिम्मेवारी नही होगी ।

9– ठेकेदार की 5% जमानत धनराशि अन्तिम विल के भुगतान के 6 माह बाद दी जायेगी ।

10– नगर पालिका अधिनियम 1916 में निर्माण के सम्बन्ध में जो विधान अकिंत है या समय –2 पर शासन पर शासन उनमें कोई संशोधन करेगा तो वह ठेकेदार पर लागू समझे जायेगा ।

11– यदि किसी मामले में कोई विवाद होगा तो उसका निर्णय अधोहस्क्षारी करेगे जिनका निर्णय अन्तिम एवं दोनों पक्षों को मान्य होगा ।

12– सशर्त कोई भी टेन्डर स्वीकृत नही किया जायेगा ।

13– निर्माण कार्य/विकास कार्यो के सम्बन्ध में समय –2 पर शासन द्वारा निर्गत आदेश /शर्ते ठेकेदार/ फर्म को मान्य होगी ।

14– प्रमुख सचिव उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग –5 लखनऊ के पत्र सख्या 24 वी आई पी(1) नौ 5–2017 –120 बजट /2013 दिनांक 24–08–2017 के निर्देशनुसार –(2) योजनान्र्तत निर्मित कियें जानें वाली योजना को निर्माण होनें के पश्चात 5 वर्ष तक अनुरक्षण /रख रखाव की जिम्मेवारी सम्बन्धित कन्ट्रेक्टर की होगी यह शर्ते टेन्डर में अंकित की जायेंगी परियोजना लागत 5 प्रतिशत धनराशि परफॉरमेन्स गारंन्टी के रूप में 5 वर्ष रोकनें के उपरान्त योजना के समुचित रख– रखाव होनें की दशा में भुगतान की जायेगी का पालन ठेकेदार कों प्रत्येक दशा में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

15– शासनादेश स0 609 /नौ –92007–249ज /06 दिनांक 26.02.2007 के अनुपालन में 5 लाख सें अधिक निविदा के साथ 100–00 रू0 के स्टाम्प पेपर पर स्वघोषणा पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।

16– विज्ञापन सामग्री में किसी भी प्रकार की लिपीकीय त्रुटि एवं तकनीक अथवा अन्य प्रकार सें उल्लेख आलेख्य के लियें निकाय सें सम्पर्क किया जा सकता है।

17– ई– निविदा सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के सशोंधन आदि के सम्बन्ध में समय –2 पर बेवसाइट etender.up.nic.in एव npp auraiya.in पर देखा जा सकता है उसकें लियें अलग सें कोई सूचना प्रकाशित नही की जायेगी ।

16.1.18

(संजय कुमार)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
औरैया ।

गायत्री देवी
(गायत्री देवी)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
औरया।

प्रतिलिपि–:1– जिलाधिकारी महोदय औरैया की सेवा मे अवलोनार्थ प्रेषित।

2– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी आरैया की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद औरैया वेबसाइट w.w.w.auraiya. up.nic.in पर सूचना अपलोड करने का कष्ट करे।

गायत्री देवी
(गायत्री देवी)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
औरैया

कार्यालय नगर पालिका परिषद औरैया

पंत्राक –:2079 /न0पा0परि0नि0वि0/2017.18

दिनांक 17 जनवरी 2018

ई निविदा प्रणाली के अन्तर्गत निविदा सूचना

नगर पालिका परिषद औरैया जनपद औरैया द्वारा वर्ष 2017–18 में समस्त पंजीकृत ठेकेदारो को सूचित किया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत सार्वजानिक शौचालय/सुलभशौचालय हेतु शासनादेश स0 पी0एम0यू0/479/427(3)2017 / दिनांक 22 दिसम्बर 2017 सें प्राप्त धनराशि सें /राज्यवित्त अयोग/पालिका निधी मद के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से प्रस्तावित निर्माण कार्य हेतु ई–निविदा टेण्डर नोटिस के अनुसार कार्यालय अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद द्वारा ई–निविदाऐं आमंत्रित की जाती है बिडर कों सलाह दी जाती है कि बिड की नियम व शर्तो को ध्यान सें पढ लें।

1– निविदाओं का विस्तृत विवरण बेवसाइट पर उपलब्ध है।

2– समस्त निविदायें दिनांक .18.01.2018 प्रातः 10:00 बजे सें 25.01.2018 अपरान्ह 1:00 बजे तक etender.up.nic.in उक्त बेबसाइट पर डाउनलोड / अपलोड की जा सकती है।

3– अपलोड करनें के उपरान्त मूल निविदा प्रपत्र वाछिंत अभिलेखों एवं मूल जमानत धनराशि के साथ .25.01.2018 कों अपरान्ह 1.00 वजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा करना होगा ।

4– निविदाओं की तकनीकी बिड ऑनलाइन दिनांक 25.01.2018 को अपरान्ह 3:00 बजे अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद कार्यालय में ठेकेदारों की उपस्थिति में खोंली जायेंगी ।

5– निविदा से सम्बन्धित शर्ते किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय नगर पालिका परिषद औरैया में देखी जा सकती है।

17.01.18

(संजय कुमार)
अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
औरैया ।

गायत्री देवी

(गायत्री देवी)
अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद
औरया।

प्रतिलिपि–:1– जिलाधिकारी महोदय औरैया की सेवा मे अवलोनार्थ प्रेषित।

2– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी आरैया की सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद औरैया वेबसाइट w.w.w.auraiya. up.nic.in पर सूचना अपलोड करने का कष्ट करे।

3–सम्पादक ....को इस आशय सें प्रेषित कि अपने आगामी अंक में सरकारी दरों पर प्रकाशित कर .का बिल 2 प्रतियों कें साथ भुगतान हेतु प्रेषित करें ।

गायत्री देवी

(गायत्री देवी)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
औरैया।